रजिस्ट्री सं. डी.--(डी. एन.)--73

REGISTERED NO. D--(DN)--73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16, 1986 (श्रावण 25, 1908)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16, 1986 (SRAVANA 25, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	543
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	889
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	--
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1155
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	21959
भाग III--खण्ड 2--पैटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	507
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	--
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1375
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	121
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	543
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	889
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1155
PART II—SECTION I—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION I-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	21959
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	507
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1375
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	121
PART V—Supplement showing Statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. Not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 1986

सं० 10/3/86-के० स० II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1987 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों की अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख)—(आशुलिपि-संवर्ग का ग्रेड-II)

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड ग (उक्त ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु)

(iii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड ग (इस ग्रेड का चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए)

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा—ग्रेड ग और

(v) भारत सरकार के कुछ अन्य विभागों/संगठनों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा ख/रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक/सेवा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित नहीं हैं।

1. उपर्युक्त सेवाओं/पदों में से किसी एक या एक से अधिक सेवा सम्बन्धित परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। वह इनमें से जितनी सेवाओं/पदों के लिए विचार किये जाने का इच्छुक है उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर सकता है।

टिप्पणी 1—उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों उनका वरीयता क्रम स्पष्ट रूप से लिख दें।

उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट उन सेवाओं/पदों के वरीयता क्रम में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अनुरोध रोजगार समाचार में लिखित परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता।

टिप्पणी 2—इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने वाले कुछ विभागों/कार्यालयों को केवल अंग्रेजी आशुलिपिकों की ही आवश्यकता होगी और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों में से की जाएगी जिन्हें लिखित परीक्षा तथा अंग्रेजी के आशुलिपिक परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाता है (द्रष्टव्य : नियमावली के परिशिष्ट I का पैरा 4)।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जायगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जायेंगे।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान, आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

4. (1) उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए या

(ख) नेपाल की प्रजा या

(ग) भूटान की प्रजा या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, युगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व) टांगानिका और जंजीबार, पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जांबिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (ङ) और (घ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी), प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परन्तु यह शर्त और कि उपर्युक्त (ख), (ग) और (घ) के वर्गों के उम्मीदवार भारतीय, विदेश सेवा (ख)—आशुलिपिक उप संवर्ग का ग्रेड (II) से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(2) परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी जिसके लिए पात्रता-प्रमाण पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

5. ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तीन से अधिक बार बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है। किन्तु यह प्रतिबन्ध 1962 में हुई परीक्षा से प्रभावी होगा।

टिप्पणी 1— इस नियम के प्रयोजन के लिए परीक्षा से अभिप्राय है आशुलिपिक परीक्षा, आशुलिपिक (आपातकालीन, कमीशन/अल्पकालीन कमीशन प्राप्त निर्मुक्त अधिकारी तथा भूतपूर्व सैनिक) परीक्षा तथा आशुलिपिक (भूतपूर्व सैनिक परीक्षा)।

टिप्पणी 2—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के प्रतियोगिता में बैठ तो इस नियम के प्रयोजन के लिए उस उम्मीदवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिए एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा माना जाएगा।

टिप्पणी 3—किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा तब माना जाएगा, जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो ।

टिप्पणी 4—उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उसके द्वारा लिया गया एक अवसर गिना जाएगा चाहे वह परीक्षा में अयोग्य ठहरा दिया जाए/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए ।

6. (क) इस परीक्षा में प्रवेश के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी, 1987 को पूरे 18 वर्ष की हो गई हो किन्तु उसकी आयु पूरे 25 वर्ष न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1962 से पहले और 1 जनवरी 1969 के बाद न का हो ।

(ख) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों अथवा निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग और लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के अधीन व्यक्तियों सहित, भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में आशुलिपिक (जिनमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल है), लिपिक/आशुटंककों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1 जनवरी, 1987 को जिन्होंने आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत) लिपिकों/आशुटंककों के रूप में कम से कम तीन वर्ष निरन्तर सेवा की तथा उक्त पदों पर अभी तक काम कर रहे हैं ।

परन्तु उपर्युक्त आयु संबंधी छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी में आशुलिपिकों के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं ।

(1) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग, या

(2) रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग, या

(3) भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-II या

(4) नगरपत्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग ।

टिप्पणी 1—डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक छटाईकारों द्वारा की गई सेवा उपर्युक्त नियम 6 (ख) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में दी गई सेवा मानी जाएगी ।

टिप्पणी 2—रक्षा प्रतिष्ठानों में नियुक्ति सेवा लिपिकों द्वारा की गई या उपर्युक्त नियम 6 (ख) के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और 1 अक्तूबर 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया युगांडा, या संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(vii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और कीनिया, युगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, (भूतपूर्व टंगनिका और जंजीबार) से भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी है या जाम्बिया, मलावी, जेरे तथा इथियोपिया का भारत मूल का प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तो अधिकतम आठ वर्ष तक ।

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(ix) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(xi) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(xii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है और जो वियतनाम से जुलाई, 1978 से पहले भारत नहीं आया है सो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(xiii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तथा भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (भारतीय परिपत्रधारी) है तथा साथ ही वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी आपातकाल प्रमाण-पत्र रखने वाला, ऐसा उम्मीदवार है जो वियतनाम से जुलाई 1975 के बाद आया है तो अधिकतम आठ वर्ष तक ।

(xiv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 1987 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और (i) जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या (ii) सैनिक सेवा से हुई

शारीरिक अपंगता या (iii) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं। (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 1987 से छः महीने के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(xv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपात-कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 1987 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और (i) जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या (ii) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (iii) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं, जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 1987 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक।

(xvi) यदि कोई उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर आया था तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(xvii) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्था-पित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 से तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर आया था तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

(xviii) यदि कोई उम्मीदवार 1 जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1985 तक की अवधि के दौरान सामान्यतः असम राज्य में रहा है तो उसके लिए अधिक से अधिक 6 वर्ष तक।

(xix) यदि कोई उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का हो और 1 जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1985 तक सामान्यतः असम राज्य में रहा है, उसके लिए अधिक से अधिक 11 वर्ष तक।

टिप्पणी:—भूतपूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजन के लिए दी जाने वाली सुविधाएं प्राप्त करके पहले से ही सिविल क्षेत्र में सरकारी सेवा में कार्यरत है वे उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 (ग) (xiv) और 6 (ग) (xv) के अधीन आयु सीमा में छूट पाने के पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी अवस्था में आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

विशेष ध्यान :—(i) जिस उम्मीदवार को नियम 6 (ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन-पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

(ii) ऐसा आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक सहित)/लिपिक/आशुटंकक जो संघ प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर है अथवा जिसे किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है परन्तु उसका धारणाधिकार उस पद पर है जिससे वह स्थानान्तरित किया गया था यदि वह अन्यथा प्राप्त है परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

7. उम्मीदवार ने भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अवश्य पास की हो अथवा उसके पास किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में स्कूल लीविंग, माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल परीक्षा, या कोई और प्रमाण-पत्र हो जो राज्य सरकार की नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष हो।

टिप्पणी 1—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी 2:—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं बशर्ते कि उम्मीदवारों ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

8. उन सभी उम्मीदवारों को जो पहले से सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक वर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हों या जो लोक उद्यमों में सेवारत हों तो यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा 7 में निर्धारित फीस देनी होगी।

12. जिस उम्मीदवार ने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य पालन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(x) परीक्षाएं चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(xi) उम्मीदवारों की परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, या

(xii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो ।

13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उसके योग्यताक्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और उस क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त समझेगा उनके नाम अपेक्षित संख्या तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अन्य सेवाओं/पदों में अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या तक के नामों की अनुशंसा की जाएगी ।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग"/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अनुशंसित किए जा सकेंगे बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों ।

14. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में विशेष सेवाओं/पदों के लिए बताए गए वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा ।

15. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा परिणाम की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

16. परीक्षा में पास होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

17. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है ।

तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकता है ।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने पद के कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ है कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किए जाने की संभावना हो ।

टिप्पणी:—भूतपूर्व रक्षा सेवा के विकलांग कार्मिकों के सम्बन्ध में रक्षा सेवा के डिमोबोलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।

19. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसके संविधान विवरण परिशिष्ट II में दिए गए हैं ।

एच० जी० मण्डल, अवर सचिव

परिशिष्ट I

1. परीक्षा के विषय, प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
(I) सामान्य अंग्रेजी	2 घन्टे	100
(II) निबन्ध	2 घन्टे	100
(III) सामान्य ज्ञान	2 घन्टे	100

भाग ख—हिन्दी या अंग्रेजी में आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए)—300 अंक

टिप्पणी :— उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टंकण मशीन पर लिप्यन्तर करने होंगे और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी टंकण मशीन लानी होगी ।

2. सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों में वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रश्नों के नमूने सहित विवरण के लिए आयोग के नोटिस (अनुबन्ध–II) के साथ लगी उम्मीदवारों के लिए सूचना पुस्तिका देखिए ।

3. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि परीक्षाओं की योजना उस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी ।

4. उम्मीदवार "निबन्ध" के प्रश्न पत्र II का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) या अंग्रेजी में दे सकता है । यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र पर लागू होगा न कि उसके किसी भाग पर ।

जिन उम्मीदवारों ने निबन्ध के प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए हिन्दी (देवनागरी) का विकल्प दिया है यदि वे चाहें तो कोष्टकों में तकनीकी शब्दों को हिन्दी में लिखने के साथ उनका अंग्रेजी रूपांतर कोष्टकों में लिख दें ।

जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल (देवनागरी) में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रश्न पत्र के उत्तर अंग्रेजी में लिखने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही देनी होगी ।

निबन्ध और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र (हिन्दी और अंग्रेजी) दोनों में तैयार किये जायेंगे ।

टिप्पणी 1:—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निबन्ध के प्रश्न (II) का उत्तर तथा आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में देने के इच्छुक हों तो यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 8 में लिखें अन्यथा यह माना जाएगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपिक परीक्षा अंग्रेजी में देगें ।

एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

यदि उम्मीदवार ने आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में परीक्षा दी है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न-पत्र (पत्रों) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी 2:—जो उम्मीदवार आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प देंगे उन्हें अंग्रेजी आशुलिपि और जो आशुलिपि परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि नियुक्ति के बाद सीखनी होगी।

टिप्पणी 3 :—जो उम्मीदवार किसी विदेश में भारतीय मिशन पर परीक्षा देना चाहता है उसे विदेश स्थित किसी ऐसे भारतीय मिशन पर अपने खर्च पर स्टेनोग्राफी परीक्षण देना होगा जहां ऐसा परीक्षण करने की व्यवस्था सुलभ है ।

5. लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र (I सामान्य अंग्रेजी) केवल अंग्रेजी में ही तैयार किया जाएगा और सभी उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में ही उत्तर दिए जाएँगे।

6. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले श्रुतलेख में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें 100 शब्द प्रति मिनट वाले श्रुतलेख में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के क्रम में ऊंचा रखा जाएगा। प्रत्येक ग्रुप में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के अनुसार पारम्परिक योग्यता अनुक्रम में रखा जाएगा। (दृष्टव्य: निम्नलिखित अनुसूची का भाग ख)।

7. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

9. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो आयोग की विवेचना के अनुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

10. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएँगे।

11. अस्पष्ट लिखावट के कारण लिखित विषयों में पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे।

12. निबंध के प्रश्न पत्र की परीक्षा में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा।

13. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची

भाग क

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

टिप्पणी :—भाग 'क' के प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

सामान्य अंग्रेजी :—यह प्रश्न पत्र इस ढंग से तैयार किया जाएगा कि इससे उम्मीदवार के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए। इस प्रश्न पत्र में शब्दों के शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और अव्यय (प्रिपोजीशन) डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किए जा सकते हैं।

निबन्ध :—उम्मीदवारों को दो प्रकरणों पर निबन्ध लिखना होगा। विषय चुनने की छूट दी जाएगी। उनसे यह आशा की जाएगी कि वे अपने विचार व्यवस्थित रूप से निबन्ध के विषय के सम्बन्ध में ही संक्षिप्त रूप से लिखेंगे। प्रभाव पूर्ण ढंग से तथा ठीक-ठीक भाव व्यक्त करने वालों को श्रेय दिया जाएगा।

सामान्य ज्ञान :—निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी :—

भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, वर्तमान घटना क्रम, सामान्य विज्ञान और दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा है। उनके उत्तरों में किसी पाठ्यपुस्तक के ज्योरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है।

भाग ख

आशुलिपिक परीक्षा की योजना

आशुलिपि परीक्षाओं की योजना :—अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो श्रुतलेख परीक्षाएं होंगी। एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवार को क्रमश: 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे।

हिन्दी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो श्रुतलेख परीक्षाएं होंगी एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमश: 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे।

परिशिष्ट II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है:—

क—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा :

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं:—

ग्रेड क : रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200।

ग्रेड ख : रु० 650-30-740-35-880-द० रो०-40-1040।

ग्रेड ग : रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800।

ग्रेड घ : रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560।

ग्रेड ख से ग्रेड क में पदोन्नत हुए व्यक्तियों को वेतन इस वेतनमान में न्यूनतम रु० 775/- पर निर्धारित कर दिया गया है। ग्रेड ग से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों का वेतन इस वेतनमान में रु० 710 पर निर्धारित किया जाएगा।

(2) उक्त सेवा के ग्रेड ग में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

(4) सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। किन्तु उसकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।

(5) सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे।

(6) जिन लोगों की नियुक्ति सेवा के ग्रेड ग में उनके अपने विकल्प के अनुसार की जाएगी उस नियुक्ति के पश्चात भारतीय विदेश सेवा (ख) के संवर्ग अथवा रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा न कर सकेंगे।

ख—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा :

(क) (i) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्न चार ग्रेड हैं:—

ग्रेड क : रु० 650-(775)-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200।

ग्रेड ख : रु० 650-30-740-35-880-द० रो०-40-1040।

ग्रेड ग : रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800।

ग्रेड घ : रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560।

ग्रेड ख से ग्रेड क में पदोन्नत व्यक्तियों का उक्त वेतनमान में रु० 775/- रु० मा० न्यूनतम वेतन दिया जाता है।

ग्रेड ग : ग्रेड ख से पदोन्नत व्यक्तियों को उक्त वेतनमान के रु० 710/- रु० मा० न्यूनतम वेतन दिया जाता है।

(ii) उक्त सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किये गय व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा तथा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यदि यह पाया गया कि सरकार की राय में उनमें से किसी भी व्यक्ति का कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा है तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा अपेक्षित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) उक्त सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किये गये व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की तरह कर्मचारियों का अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरण नहीं होता है।

(ग) इन नियमों के अधीन भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा के अधिकारी :—

(i) पेंशन लाभ के पात्र होंगे तथा

(ii) सेवा में आने की तारीख को नियुक्त रेल कर्मचारियों पर लागू गैर अंशदायी रेल भविष्य निधि के अधीन उक्त निधि में अभिदान करेंगे।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवार रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार पास और विशेषाधिकार टिकट आदेश का हकदार होगा।

(ङ.) जहां तक अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित स्टाफ के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा कि रेलवे के अन्य स्टाफ से, किन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में वे केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों में शामिल होंगे जिनका मुख्यालय नई दिल्ली होगा।

ग—भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड II

भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिकों के संवर्ग में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं:—

चयन ग्रेड :—रु० 775-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200।

ग्रेड I : रु० 650-30-740-35-880-द० रो०-40-1040।

ग्रेड II : रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800।

ग्रेड III : रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560।

(ग्रेड II से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों का वेतन इस वेतनमान में न्यूनतम रु० 710 पर निर्धारित किया जाएगा।)

2. इस सेवा के ग्रेड II में भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर यदि उनमें से किसी का कार्य या आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

3. भारतीय विदेश सेवा (शाखा-ख) आशुलिपिकों के संवर्ग I में नियुक्त अधिकारी भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (आर० सी० एस० पी०) नियमावली 1964 भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियमावली 1961 जो भारतीय विदेश सेवा 'ख' के अधिकारियों पर लागू की गई है तथा वे अन्य नियम और आदेश जो भारत सरकार द्वारा उन पर लागू किए जाएं द्वारा शासित होंगे।

4. भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) विदेश मंत्रालय और विदेश में भारतीय मिशनों तक ही सीमित है। इस सेवा में नियुक्त अधिकारी वाणिज्य मंत्रालय को छोड़कर सामान्यतया अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं किए जा सकेंगे। परन्तु वे विदेशों में अन्य मंत्रालयों में निमित्त पदों पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों में भी नियुक्त किए जा सकते हैं। वे भारत में तथा भारत के बाहर कहीं भी उन स्थानों सहित जहां परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं रखना होता सेवा पर भेजे जा सकते हैं।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को विदेशों में, उनके मूल वेतन के अतिरिक्त उस दर से विशेष भत्ता दिया जाएगा, जो सम्बद्ध देशों के निर्वाह खर्च आदि के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किया जाए। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों के लिए लागू भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियमावली, 1961 के अनुसार विदेश सेवा अवधि में निम्नलिखित रियायतें भी स्वीकार्य होंगी :—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार निःशुल्क सुसज्जित आवास।

(ii) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या सुविधायें।

(iii) 6 और 22 वर्ष की आयु के बीच के अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए जो भारत में पढ़ रहे हों अथवा एक बच्चा भारत तथा दूसरा विदेश में अधिकारी की तैनाती से इतर किसी अन्य देश में पढ़ रहा हो कतिपय शर्तों के अधीन वायु मार्ग द्वारा वापसी यात्रा व्यय। यदि सरकारी कर्मचारियों के भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे 6 और 22 वर्ष की आयु के बीच दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे विदेश में अपने माता पिता के पास यात्रा करने वाले दो बच्चों के बदले अपनी पत्नी को छुट्टियों के दौरान भारत भेजने का विकल्प होगा। ऐसे किसी मामले में सरकारी कर्मचारी की पत्नी सस्ती से सस्ती उपलब्ध श्रेणी से वायु मार्ग द्वारा वापसी यात्रा व्यय की हकदार होगी।

(iv) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से 5 से 18 वर्ष के अधिक से अधिक दो बच्चों का शिक्षा भत्ता।

(v) विहित नियमों और समय-समय पर सरकार द्वारा निश्चित दरों के अनुसार विदेशों में सेवा करने के संबंध में सज्जाकरण भत्ता साधारण सज्जाकरण भत्ते के अतिरिक्त असाधारण ठन्डी जलवायु वाले देशों में नियुक्त अधिकारियों को विशिष्ट सज्जाकरण भत्ता प्राप्त होगा।

(vi) विहित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों को घर जाने की छुट्टी पर यात्रा किराया।

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, कतिपय संशोधनों के अधीन इस सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे। ये अधिकारी विदेश सेवा में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 के अधीन प्राप्त छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त छुट्टी जमा कर सकेंगे।

7. उक्त अधिकारी जो भारत में होंगे, तो ऐसी रियायतों के हकदार होंगे, जो बराबर तथा एक समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राप्त हों।

8. भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारी सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें) नियमावली, 1960 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गये वेशों द्वारा शासित होंगे।

9. इस सेवा में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के द्वारा शासित होंगे :

घ—सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा :

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

1. ग्रेड क—आशुलिपिक (निजी सचिव)—ग्रुप ख—राजपत्रित (चयन ग्रेड)।

वेतनमान : रु० 650* (775)*-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200।

*ग्रेड ख से पदोन्नत किए गए अधिकारियों को गारंटी शुदा न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

2. ग्रेड ख आशुलिपिक (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक)—ग्रुप ख—राजपत्रित।

वेतनमान : रु० 650 (710)†—30-740-35-880-द० रो०-40-1040।

†ग्रेड ग से पदोन्नत किए गए अधिकारियों को गारंटीशुदा न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

3 ग्रेड ग आशुलिपिक (वैयक्तिक सहायक) ग्रुप ख—अराजपत्रित।

वेतनमान : रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800।

4. ग्रेड घ आशुलिपिक—ग्रुप ग।

वेतनमान : रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560।

2. अस्थायी आशुलिपिक ग्रेड ग (वैयक्तिक सहायक) के रूप में सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि में यदि असंतोषजनक सेवा अभिलेख रहा, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाला जा सकता है। परिवीक्षाधीन अवधि में उन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

3. सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में भर्ती किया गया ग्रेड ग का आशुलिपिक सामान्यतः सशस्त्र सेना मुख्यालय और दिल्ली/नई दिल्ली स्थित अंतर सेवा संगठन के किसी कार्यालय में नियुक्त किया जाएगा। वह दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर अन्य स्थानों पर भी नियुक्त किया जा सकेगा जहां शस्त्र सेना मुख्यालय/अन्तर सेवा संगठन के कार्यालय स्थित हों।

4. ग्रेड ग के आशुलिपिक ग्रेड ख (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे और ग्रेड ख आशुलिपिक (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) समय-समय पर लागू किए गए नियमों के अनुसार ग्रेड क के आशुलिपिक (निजी सचिव) के रूप में पदोन्नति के पात्र होंगे।

5. छुट्टी, चिकित्सा सहायता और सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य सिविल वर्गीय कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 1986

संकल्प

सं० डी० डब्ल्यू० आई–64(84–डब्ल्यू० पी०—भारत सरकार ने इस संकल्प को जारी करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए काष्ठ पर आधारित उद्योगों की विकास नामिका का निम्न प्रकार से गठन करने का निर्णय किया है :—

क्र० सं० व्यक्ति/संगठन का नाम

1. श्री एन० बिस्वास, —अध्यक्ष
उप महा निदेशक (केमि०)
तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली–110011

2. श्री ए० एन० राय, —सदस्य
औद्योगिक सलाहकार (केमि०),
डी० जी० टी० डी०, नई दिल्ली–110011

3. औद्योगिक सलाहकार (केमिकल्स),
विकास आयुक्त (लघु उद्योग), निर्माण भवन,
नई दिल्ली।

4. उप सलाहकार (आई० एण्ड एम०), "
योजना आयोग, संसद मार्ग,
योजना भवन, नई दिल्ली–110001

5. प्रतिनिधि, "
महानिरीक्षक वानिकी, वन
वन्य जीव तथा पर्यावरण विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

6. निदेशक, "
उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

7. निदेशक, डी० जी० एस० एण्ड डी०, "
संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

8. निदेशक, "
इंडियन प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट,
पी० बी० 2273, बंगलौर–560022

9. निदेशक, "
सिविल इंजीनियरिंग,
इंडियन स्टैन्डर्ड इन्स्टीच्यूशन
नई दिल्ली।

10. कार्यकारी निदेशक, "
कैमीकल्स एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स
एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल,
वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर,
14/1–बी, हजरा स्ट्रीट,
कलकत्ता—700001

11. सलाहकार (केमीकल्स), "
कैमीकल्स तथा पैट्रो कैमीकल्स डिपार्टमेंट,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

12. अध्यक्ष, "
फैडरेशन आफ इंडियन एण्ड पैनल
इण्डस्ट्रीज, इन्दिरा, प्लेस, एच–ब्लाक,
कनाट प्लेस, नई दिल्ली।

13. अध्यक्ष, सदस्य
प्लाईवुड मैनीफैक्चरस एसोसिएशन
आफ वैस्ट बंगाल,
22, स्टैण्ड रोड,
कलकत्ता, वेस्ट बंगाल

14. अध्यक्ष, "
अण्डमान वुड बेस्ड इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन
पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान।

15. अध्यक्ष, "
साउथ इण्डिया प्लाइवुड मैन्युफैक्चरस एसोसिएशन
टी० सी०XII/1630 लाइन, विकास भवन,
त्रिवेन्द्रम—695033

16. अध्यक्ष, "
असम प्लेवुड मैनीफैक्चरस एसोसियेशन,
तिनसुखिया असम।

17. श्री पी० आर० टण्डन, "
सचिव,
फैडरेशन आफ इण्डियन प्लेवुड आफ पैनल इण्डस्ट्रीज,
इन्दिरा प्लेस, एच–ब्लाक, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली।

18. श्री अरविन्द जाली, मेसर्स जाली प्रोडक्टस लि०, "
501, रे बाचेम्बरस, 31, न्यू मरेन लाईन्स,
बम्बई–400020

19. श्री एच० बी० शारदा, "
मेसर्स मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स,
9/1, आर० एन० मुखर्जी रोड,
कलकत्ता—700001

20. श्री अब्बास बाघ, "
मेसर्स डैकोरेट लूमिनेटस (इंडिया) प्रा० लि०।
येलवाल रोड, मैसूर–570005।

21. श्री टी० के० जैकब, "
मेसर्स वेनियरस एण्ड लूमिनेटस,
कोचीन, केरल स्टेट

22. श्री पी० डी० चितलांगिया, "
मेसर्स शारदा प्लेवुड इण्डस्ट्रीज,
9, पारसी चर्च स्ट्रीट,
कलकत्ता–700001

23. श्री के० एस० लौली, "
मेसर्स प्रैक्टीकल बोर्डस मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन,
9, बालीस स्ट्रीट, फोर्ट,
बम्बई–400001

24. श्री ए० के० आदारकुटी, "
मेसर्स/वेसर्टन इण्डिया प्लेवुड इण्डस्ट्रीज,
आलीपद्नम, केरल स्टेट।

25. श्री एम० एम० जालन, "
मेसर्स/अरुणाचल इण्डिया प्लेवुड इण्डस्ट्रीज,
62, आलीगंज, सरकुलर रोड,
कलकत्ता।

26. श्री के० एस० नायर, "
रबसवाला, टी० सी० सं० 10/52, शास्तमंगलम
त्रिवेन्द्रम—695010

27. श्री जे० एस० मथारु,
एम-39सी, रजौरी, गार्डन,
नई दिल्ली-110027 सदस्य

28. डा० एम० सी० तिवारी,
निदेशक,
फोरेस्टस प्रोडक्टस रिसर्च,
फोरेस्ट रिसर्च इन्टीटयूट,
देहरादून । "

29. श्री पी० वी० मेहता,
विकास अधिकारी,
डी० जी० टी० डी० उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011 सदस्य सचिव

2. नामिका के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

(i) प्लाईवुड तथा उससे सम्बद्ध अन्य उद्योगों के वर्तमान स्तर की, उनके भावी विकास के परिप्रेक्ष्य की, मांग के अनुमानों की समीक्षा करना तथा भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग का विकास करने तथा प्रगति लाने से संबंधित उपायों के बारे में सिफारिश करना;

(ii) उपर्युक्त उद्योगों में प्रयुक्त टैक्नालाजी के स्तर का मूल्यांकन करना और उसे अपेक्षित उन्नत स्तर तक लाने के बारे में सुझाव देना तथा उद्योग का आधुनिकीकरण करने से संबंधित एवं डिजाइनों/प्रक्रियाओं का विकास करने से संबंधित अभ्युपायों के बारे में भी सुझाव देना;

(iii) विभिन्न उत्पादनों एवं उसके साइजों के बारे में औचित्य-स्थापन के लिए सुझाव देना, साथ ही उद्योग द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न कच्चे मालों एवं उनके साइजों, हिस्से-पुर्जों, उपयोग के योग्य उत्पादों इत्यादि के बारे में भी औचित्य-स्थापन की दृष्टि से संगत सुझाव देना;

(iv) सामग्री एवं ऊर्जा उपभोग के मान वण्डों के बारे में तथा उनमें कमी लाने के बारे में परामर्श देना तथा दक्षता व उत्पादिता में सुधार लाने के उपायों पर सिफारिश करना;

(v) उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन के उचित पैमानों एवं मितव्ययिता आदि पर परामर्श देना;

(vi) उत्पादों उनके कच्चे मालों, हिस्से-पुर्जों के आयात-प्रतिस्थापन करने के बारे में सुझाव देना;

(vii) निर्यात प्रजनन के बारे में परामर्श देना;

(viii) उद्योग के विकास से संबंधित नामिका द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले किसी भी पहलू के बारे में सुझाव देना;

तथा (ix) कच्चे मालों एवं उपभोग के क्षेत्रों की पूर्ति के स्रोतों को ध्यान में रखते हुए उद्योग के क्षेत्रीय विकास के नमूनों के बारे में सुझाव देना ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० सी० गंजवाल, निदेशक (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 1986

संकल्प

सं० 9-13/80-फ० प्र० I—भारत सरकार ने अपने तारीख 19 अक्तूबर, 1977 के संकल्प संख्या 48012(5)/76-फ० प्र० I द्वारा गठित भारतीय मसाला विकास परिषद् को तत्काल से पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है । पुनर्गठित परिषद निम्न प्रकार होगी :—

1. अध्यक्ष — भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाने वाला गैर-सरकारी अधिकारी ।

2. उपाध्यक्ष — बागबानी आयुक्त,
भारत सरकार,
कृषि और सहकारिता विभाग

3. सदस्य

(क) संसद सदस्य — संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जाने वाले तीन संसद सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से)

(ख) केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि
(1) योजना आयोग, नई दिल्ली
(2) वाणिज्य मंत्रालय
(3) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अथवा उनके द्वारा नामजद अधिकारी
(4) महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
(5) परियोजना समन्वयक (मसाला तथा काजू), केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, पोस्ट कुडलू, कासारागोड, केरल
(6) कृषि विपणन सलाहकार अथवा उनके द्वारा नामजद अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग
(7) महा प्रबन्धक (तकनीकी) नाबार्ड, बम्बई
(8) निदेशक, राष्ट्रीय मसाला केन्द्र, कालीकट ।

(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि — निम्नलिखित राज्य सरकारों के बागबानी/कृषि विभागों से प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि जिन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किया जाएगा :—
(1) आन्ध्र प्रदेश
(2) असम
(3) बिहार
(4) गुजरात
(5) हिमाचल प्रदेश
(6) कर्नाटक
(7) केरल
(8) मध्य प्रदेश
(9) महाराष्ट्र
(10) मेघालय
(11) उड़ीसा
(12) सिक्किम
(13) तमिलनाडु
(14) पश्चिम बंगाल

(घ) कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि	निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि :—
	(क) कुलपति अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति, केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर
	(ख) कुलपति अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, बंगलौर
	(ग) कुलपति अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति, तामिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, मद्रास
	(घ) कुलपति अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति, कोंकण कृषि विद्यापीठ, देपोली
	(ङ) कुलपति अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति, असम कृषि विश्वविद्यालय, गोहाटी
	(च) कुलपति अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, शिमला ।
(ङ) उत्पादकों के प्रतिनिधि	प्रमुख मसाला उत्पादक राज्यों से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जाने वाले उत्पादकों के चौदह प्रतिनिधि, जो निम्न प्रकार नामजद किए जाएंगे :—
	(1) आन्ध्र प्रदेश एक प्रतिनिधि
	(2) असम एक प्रतिनिधि
	(3) बिहार एक प्रतिनिधि
	(4) गुजरात एक प्रतिनिधि
	(5) हिमाचल प्रदेश एक प्रतिनिधि
	(6) कर्नाटक एक प्रतिनिधि
	(7) केरल एक प्रतिनिधि
	(8) महाराष्ट्र एक प्रतिनिधि
	(9) मेघालय एक प्रतिनिधि
	(10) मध्य प्रदेश एक प्रतिनिधि
	(11) उड़ीसा एक प्रतिनिधि
	(12) सिक्किम एक प्रतिनिधि
	(13) तमिलनाडु एक प्रतिनिधि
	(14) पश्चिम बंगाल एक प्रतिनिधि ।
(च) व्यापार के प्रतिनिधि	वाणिज्य मंत्रालय (विदेश व्यापार विभाग) की सिफारिशों के आधार पर नामजद किए जाने वाले व्यापार के तीन प्रतिनिधि
(छ) उद्योग के प्रतिनिधि	उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की सिफारिशों के आधार पर नामजद किए जाने वाले उद्योग के तीन प्रतिनिधि
(ज) अन्य	ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जिन्हें समय समय पर भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाना है ।
4. सदस्य सचिव	कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन कोको, सुपारी तथा मसाला विकास निदेशालय कालीकट के निदेशक ।
5. प्रेक्षक	(परिषद के सदस्य नहीं होंगे, बल्कि परिषद के विचार-विमर्श में सहायता करने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे)
	(1) अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका प्रतिनिधि ।
	(2) वित्तीय सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग ।
	(3) अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग ।
	(4) प्रबन्ध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली ।
	(5) प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली ।
	(6) निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर ।
	(7) प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लई दिल्ली ।

2. परिषद एक सलाहकार निकाय होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(क) मसालों के संबंध में केन्द्र तथा राज्य दोनों क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों की प्रगति की संवीक्षा करना तथा कार्यक्रमों के उपयुक्त ढंग से क्रियान्वयन के उपायों की सिफारिशें करना ।

(ख) विभिन्न अभिकरणों की आवश्यकता के अनुसार पौध सामग्री की आवश्यकताओं का निर्धारण करना तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपायों के संबंध में सुझाव देना ।

(ग) मसालों की घरेलू तथा निर्यात की मांग पर विचार करना तथा उपयुक्त विकासात्मक कार्यक्रमों के जरिए मसालों का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में सरकार से उपयुक्त सिफारिशें करना ।

(घ) उत्पादन, परिसंस्करण तथा विपणन की उपलब्ध प्रौद्योगिकी का जायजा लेना तथा अनुसंधान और विस्तार में आपसी सम्पर्क बनाते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाना ।

(ङ) मसाला परिसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं तथा इस उद्योग में विविधता लाने के उपायों का पता लगाना ।

(च) मसालों के उत्पादन के संबंध में छोटे और सीमान्त किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय सुझाना ।

(छ) मसाला उद्योग से सम्बन्धित किन्हीं अन्य मामलों में सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद् को विशेष मामलों पर विचार करने हेतु स्थायी समिति, तकनीकी समिति तथा तदर्थ समिति गठित करने तथा विशिष्ट उद्देश्यों हेतु आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने की शक्तियां प्राप्त हैं ।

4. परिषद् आवधिक तौर पर मसाला उगाए जाने वाले क्षेत्रों में और व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर अपनी बैठकें करेगी तथा भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

5. सरकार द्वारा संकल्प के जरिए परिषद् समाप्त किए जाने तक परिषद् निर्बाध रूप से कार्य करती रहेगी। अध्यक्ष तथा परिषद् के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि उनके परिषद् में नामजद किए जाने की तारीख से तीन वर्ष तक होगी, बशर्ते कि भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जाता।

6. संसद सदस्यों में से नामजद किए गए सदस्य संसद् सदस्य न बने रहने की स्थिति में परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों को भेज दी जायें।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० वी० शेनॉय, अपर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास विभाग
पी० आर० ई० एम० डिवीजन
(अनुसंधान यूनिट)
नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1986

संकल्प

सं० 1-66/85(आर-डब्ल्यू सी० डी०) पी० आर० ई० एम०—दिनांक 20 जनवरी 1983 की सरकारी अधिसूचना सं० 1-56/82(आर) प्रेम के अधिक्रमण में महिला एवं बाल विकास विभाग को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देने के लिए समाज कल्याण अनुसंधान सम्बन्धी सलाहकार समिति का एतद्द्वारा पुनर्गठन किया गया है—

(1) पदोन्नति, समन्वय और महिलाओं और स्कूल पूर्व बच्चों, नीति निर्माण और विकास के क्षेत्र में अनुसंधान की प्रोन्नति, उसका समन्वय और उपयोग।

(2) अनुसंधान और अध्ययन के क्षेत्रों का पता लगाना और प्राथमिकताओं का पता लगाना।

(3) वित्तीय सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजे गए अनुसंधान तथा अध्ययन के प्रस्तावों की सुव्यवस्थित परिपक्वता, महत्ता, पर्याप्तता तथा लागत।

(4) उपरोक्त विषयों में अनुसंधान की प्रोन्नति से संबंधित कोई अन्य विषय

2. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. भारत सरकार के सचिव —अध्यक्ष (पदेन)
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली

2. डा० मालकोम एस० अदिसेशियाह —सदस्य
"साधना", 19 ऐनोटफ रोड,
मद्रास—600018, तमिलनाडु

3 प्रो० (कुमारी) आर्मेती वेसाई —सदस्य
निदेशक, टाटा इन्स्टीच्यूट आफ
सोशल साईसिज, बम्बई

4. डा० राजम्मल पी० देवदास —सदस्य
निदेशक,
डी अविनाशिलिंगम ऐजुकेशन ट्रस्ट
इन्स्टीट्यूशनस, कोयम्बतूर-641043
तमिलनाडु।

5. डा० वीना मजूमदार, —सदस्य
निदेशक,
महिला विकास अध्ययन केन्द्र,
बी-43, पंचशील इन्कलेव,
नई दिल्ली-110017

6. प्रो० (श्रीमती) तारा गोपालदास —सदस्य
डीन,
खाद्य एवं पोषाहार विभाग,
फैकल्टी आफ होम साईंस,
एम० एस० यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा
बड़ौदा

7 डा० (श्रीमती) आर० मुरलीधरन, —सदस्य
प्रो०, स्कूल पूर्व तथा प्रारम्भिक शिक्षा-
विभाग,
राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
नई दिल्ली

8. प्रो० बी० एन० टण्डन, —सदस्य
प्रमुख,
जठरांत्र रोग तथा मानव पोषाहार विभाग
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अन्सारी नगर, नई दिल्ली-29

9. डा० के० के० जैकब, —सदस्य
प्रधानाचार्य,
उदयपुर सामाजिक कार्य विद्यालय
उदयपुर, राजस्थान

10. डा० डी० डोले,
रीडर —सदस्य
समाज विज्ञान विभाग
डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
डिब्रूगढ़ (असम)

11. कार्यकारी निदेशक —सदस्य
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (पदेन)
नई दिल्ली।

12. निदेशक, —सदस्य
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास (पदेन)
संस्थान, नई दिल्ली।

13. निदेशक —सदस्य
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, (पदेन)
नई दिल्ली

14. संयुक्त सलाहकार (समाज कल्याण) —सदस्य
योजना आयोग, (पदेन)
नई दिल्ली

15. निदेशक —सदस्य
राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, (पदेन)
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्
जमिया-उस्मानिया,
डाकघर, हैदराबाद-500007

16. रजिस्ट्रार, जनरल, भारत सदस्य (पदेन)
गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली

17. संयुक्त सचिव (महिला कल्याण) सदस्य (पदेन)

18. संयुक्त सचिव (बाल विकास) सदस्य (पदेन)

19. निदेशक (अनुसंधान) सदस्य सचिव (पदेन)

3. समिति के सदस्यों का कार्यकाल 30 जून, 1990 तक होगा । सरकार इस अवधि में वृद्धि अथवा कमी कर सकती है ।

4. समिति की सदस्यता के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा । परन्तु सरकारी सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वे इस संबंध में की गयी यात्रा के लिए अपने-अपने कार्यालयों से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता ले सकेंगे । समिति के गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा के लिए भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य दरों पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एम० एस० दयाल, संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1986

संकल्प

सं० 47(7)/84-एफ० सी०-भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा संकल्प संख्या एफ० सी०-47(3)/72, दिनांक 18 अप्रैल, 1972 द्वारा जो उसी मंत्रालय के संकल्प संख्या बा० नि० 47 (3)/72 दिनांक 30 मई, 1973 और भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) के संकल्प संख्या बा० नि० 47(16)/77 दिनांक 7 अक्तूबर 1977 तथा सिंचाई मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० सी०-47(2)/77दिनांक 19/30 सितम्बर, 80 द्वारा संशोधित किया गया था, द्वारा गठित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को एतद्द्वारा पुनर्गठित किया जाता है ।

2 आयोग में निम्नलिखित पूर्णकालिक अधिकारी शामिल होंगे :--

(i) अध्यक्ष

(ii) सदस्य (आयोजना)

(iii) सदस्य (समन्वय)

3 बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में बाढ़-नियंत्रण के कार्य-भारी मुख्य इंजीनियर और मध्य प्रदेश के इंजीनियर-इन-चीफ आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे । इसके अलावा, भारत सरकार के निम्नलिखित अधिकारी भी इस आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे :--

(1) सदस्य (नदी प्रबन्ध), केन्द्रीय जल आयोग ।

(2) निदेशक, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे ।

(3) मुख्य इंजीनियर, जल विज्ञानी प्रेक्षण और बाढ़ पूर्वानुमान संगठन (उत्तर), केन्द्रीय जल आयोग ।

(4) मुख्य इंजीनियर (आयोजना), सड़क स्कन्ध, भूतलविभाग, परिवहन मंत्रालय ।

(5) निदेशक, सिविल इंजीनियरी, रेलवे, परिवहन मंत्रालय

4 हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण के कार्यभारी मुख्य इंजीनियर आयोग के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे ।

5 आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे जाएंगे :--

(i) गंगाबेसिन के लिए बाढ़-नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार करना । इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र (फील्ड) अन्वेषण और आंकड़ों का एकत्रण गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के निदेशानुसार, राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा ।

(ii) बेसिन-वार योजनाओं में शामिल वर्क्स के क्रियान्वयन के लिए एक चरणबद्ध और समन्वित कार्यक्रम तैयार करना ।

(iii) वर्क्स के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, कोटि-नियंत्रण, सामग्री विनिर्दिष्टता तथा रख-रखाव और उपयुक्त मानकों के अनुसार उन्हें बनाए रखने के मामले में सम्बन्धित राज्यों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों की अनुपालना की सलाह देना ।

(iv) बोर्ड के विचारार्थ जब भी आवश्यक हो, वर्क्स वार्षिक कार्यक्रम और लागत आक्कलन तैयार करना ।

(v) राज्यों द्वारा निष्पादित मुख्य बाढ़ नियंत्रण उपायों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना जिसमें सभी अन्तर्राज्यीय बाढ़ नियंत्रण स्कीम में भी शामिल हैं ।

(vi) सड़क और रेल-पुलों के नीचे वर्तमान मार्ग (वेट वेज) का मूल्यांकन करना और जल-निकास अवरोध को उचित सीमा तक करने के लिए अतिरिक्त जलमार्ग निर्धारित करना ।

(vii) महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण स्कीमों विशेषकर जिन्हें केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो रही है, के क्रियान्वयन की मानीटरी करना ।

(viii) हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और ताजेवाल से ओखलरा बराज तक के शीर्ष में यमुना नदी पर दिल्ली की स्कीमों को छोड़कर, सभी बेसिन राज्यों की सभी वृहद और मध्यम बाढ़ नियंत्रण, जल निकास, जल अभाव रोधी और कटाव-रोधी स्कीमों की जांच करना ।

(ix) बेसिन राज्यों द्वारा उचित प्रयोग के लिए वैज्ञानिक संगठनों के सहयोग से आयोजित सभी विशेष अध्ययनों अथवा अन्वेषणों से उत्पन्न परिणामों को प्रलेखबद्ध करना तथा वितरित करना ।

6. यह आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए व्यापक नीति निर्देशों के ढांचे के अन्तर्गत कार्य करेगा और केन्द्रीय जल आयोग और गंगा बेसिन राज्यों के बाढ़ नियंत्रण संगठनों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके कार्य करेगा ।

7. आयोग का मुख्य कार्यालय पटना में होगा ।

8. बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाढ़ नियंत्रण कार्य सामान्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे । लेकिन, यदि आवश्यक हो, तो आयोग राज्य/संबंधित राज्यों तथा जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के बीच आपसी सहमति के बाद विशिष्ट वर्क्स के कार्यान्वयन का प्रबन्ध कर सकता है ।

आदेश

आदेश किया जाता है कि संकल्प की एक प्रति, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली, कृषि, वित्त, योजना, और परिवहन मंत्रालयों (रेल और भूतल परिवहन विभागों), प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास भेजी जाए ।

यह भी आदेश किया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से अनुरोध किया जाए कि इसे सामान्य सूचना के लिए राज्य गजट में प्रकाशित किया जाये ।

बीनू सेन, संयुक्तसचिव

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING
RULES

New Delhi, the 16th August 1986

No. 10/3/86-CS.II.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 9187 for the purpose of filling temporary vacancies in the following services/posts are published for general information :

(i) Indian Foreign Service (B)—Grade II of the tenographers' cadre);

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service Grade C (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iii) Central Secretariat Stenographers' Service—Grade C (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service —Grade C; and

(v) Posts of Stenographer in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Central Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

1. A candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

NOTE 1.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts, for which they wish to be considere.d No request or alteration in the order of preferences for the Serices/posts for which he is competing, would be considered from a candidate unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the result of the written examination in the Employment News.

NOTE 2.—Some departments/offices of the Government of India making recruitment through this examination would require only English Stenographers and appointments to posts of Stenographers in these departments/offices on the results of this examination will be made only from amongst those who are recommended by the Commission on the basis of the Written Test and Shorthand Test in English (c. f. para 4 of Appendix I to the Rules).

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examinatoin will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to the Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. (1) A candidate must be either;

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malavi, Zaire. Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Cadre).

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall be permitted more than three attempts at the examination but this restriction shall be effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, the examination will mean the Stenographers Examination, the Stenographers' (Released EC/SSC Officers and ex-servicemen) Examination and the Stenographers' (ex-servicemen) Examination.

NOTE 2.—For the purpose of this rule a candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 3.—A candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

NOTE 4.—Notwithstanding the disqualification/cancellation of candidature the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt.

6. (A) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years of 1st January, 1987 *i.e.* he must have been born not earlier than 2nd January, 1962 and not later than 1st January, 1969.

(B) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Stenographers (including Language Stenographers)/Clerks/Steno-typists in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the offices of the Flection Commission and the Central Vigilance Commission or in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat and have rendered not less than 3 years continuous service as Stenographer (including Language Stenographer)/Clerk/Steno typist on 1st January, 1987 and continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be available to persons appointed as Stenographers on the basis of earlier examinations, held by the Union Public Service Commission in :—

(i) Central Secretariat Stenographers' Service Grade C, or

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service Grade C, or

(iii) Indian Foreign Service (B) Grade II of the Stenographers' Cadre, or

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service Grade C.

NOTE 1.—Service rendered by R.M.S., Sorters employed in Subordinate Officers of P. & T. Deptt. shall be treated as service rendered in the grade of clerk for purpose of Rule 6(B) above.

NOTE 2.—Service rendered by Service Clerks employed in Defence installations, shall not be counted for the purpose of Rule 6(B) above.

(C) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

(vii) up to a miximum of eight years if a candidate belongs to a Schedule Caste or a Schedule Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tangayika and Zanzibar), or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire & Ethiopia;

(viii) up to maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian Origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belongs to the Schedule Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian Origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiv) up to maximum of five years in the case of ex-servicement and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1987 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January 1987) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of Physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment;

(xv) up to a maximum of ten years in the case of ex-servicemen and commissioned officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1987 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January 1987) otherwise than by way of dismissal or discharge on acount of misconduct or inefficiency (ii) or on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displace person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xvii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe

and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January 1971 and 31st March, 1973.

(xviii) up to a maximum of six years, if a candidate has ordinarily resided in the State of Assam during the period from the first day of January, 1980 to the fifteenth day of August, 1985.

(xix) up to a maximum of eleven years, if a candidate belongs to a Schedule Caste or Scheduled Tribe and has ordinarily resided in the State of Assam during the period from the first day of January, 1980 to the fifteenth day of August, 1985.

NOTE :—Ex-Servicemen who have already joined Government job on the Civil side after availing of the benefits given to them as ex-serviceman for their re-employment, are not eligible to the age concession under Rule 6(c) (xiv) & 6(c) (xv) above.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(B) above shall be cancelled if after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his department either before or after taking the examination. He will however, continue to the eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

(ii) A stenographer (including language Stenographer) Clerk/Steno-typist who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from which he is transferred will be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible.

7. Candidates must have passed the Matriculation examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course, for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation certificate for entry into services.

NOTE 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination will not be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2.—In exceptional cases the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees, or those serving under Public Enterprises, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for this Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Candidates must pay the fee prescribed in para 7 of the Commission's Notice.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or doucments which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s) : or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses :

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf and.

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him into consideration.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as desclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers Service upto the required number and for appointment upto the number of unreserved vacancies on other Services/posts decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers Service and for appointment to vacancies in other Services/posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. Subject to other provisions contained in these Rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts at the time of his application.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for the appointment to the Service/post.

17. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living entered into or contracted a marlage with any person;

shall be eligible for appointment to Service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of disabled ex-Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

19. Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix II.

H. C. MANDAL
Under Secy.

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) General English	2 hours	100
(ii) Essay	2 hours	100
(iii) General Knowledge	2 hours	100

PART B—SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN ENGLISH FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST. 300 marks

NOTE.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

2. The papers in General English and General knowledge will consist of Objective Type questions. For details including sample questions please see Candidates Information Manual appended to Commission's Notice (Annexure II).

3. The syllabus for the Written Tests and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

4. Candidates are allowed the option to answer paper (ii) 'Essay' either in Hindi (Devanagari) or in English. The option will apply to complete paper and not to a part thereof.

Candidates exercising the option to answer the Essay paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

Candidates who opt to answer the aforesaid paper in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Tests also in Hindi (Devanagari) only and candidates who opt to answer the aforesaid paper in English will be required to take the Shorthand Tests also in English only.

Question papers in Essay and General Knowledge will be both in Hindi and in English.

NOTE 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer paper (ii) Essay of the Written Test and take Shorthand Test in Hindi (Devanagari), should indicate their intention to do so in col. 8 of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand tests in English.

The option once exercised shall be treated as final, and no request for alteration in the said column shall be entertained.

If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used in the examination, the paper of such candidates will not be valued.

NOTE. 2.—Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English Stenography and *vice versa*, after their appointment.

NOTE. 3.—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangement for holding such tests are available.

5. Paper (i) General English of the Written Test will be set in English only.

6. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Scheme below).

7. Candidate must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

8. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

9. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for Shorthand Test.

10. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

11. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

12. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the paper on Essay for the examination.

13. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

PART A

Standard and Syllabus of the written test

NOTE—The standard of the question papers in Part A will beapproximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English.—The Paper will be designed to test the candidate's knowledge of English Grammar and Composition and generally their power to understand and ability to write correct English. The paper may include questions on correct use of words; easy idioms and prepositions; direct and indirect speech etc.

Essay.—Candidates will be required to write essay on two topics. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year, Plan, Indian History and Culture, general and economic geography of India, current events, everyday science and such matters of everyday observation as, may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

PART B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per miute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The shorhand tests in Hindi will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination

A *The Central Secretariat Stenographers' Service.*

The Central Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Grade A : Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Grade B : Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040

Grade C : Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade D : Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

Persons promoted from Grade B to Grade A are allowed a minimum pay of Rs. 775 in the scale. Persons promoted from Grade C are allowed a minimum salary of Rs. 710 in the scale.

(2) Persons recruited to Grade C of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government.

(3) On the conclusion of the period of probation Government may confirm the persons concerned in his appointment or if his work or conduct in the opinion of Government has been unsatisfactory he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Person recruited to Grade C of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Persons recruited to Grade C of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to Grade C of the Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post included in the Cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Stenographers' Service Scheme.

B. *The Railway Board Secretariat Stenographers' Service*

(a) (i) The Railway Board Secretariat Stenographers Service has at present four grades as follows :—

Grade A : Rs. 650 (775)—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Grade B : Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040—

Grade C : Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade D : Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

Persons promoted from Grade B to Grade A are allowed a minimum pay of Rs. 775/- in the scale.

Persons promoted from Grade C to Grade B are allowed a minimum salary of Rs. 710/- in the scale.

(ii) Persons recruited to Grade C of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed by Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or conduct, in the opinion of the Government of any of them has been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(iii) Persons recruited to Grade C of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(b) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service is confined to the Ministry of Railways and staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Stenographers' Service.

(c) Officers of the Railway Board's Stenographers' Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(d) The candidate appointed to the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be entitled to the Privilege of Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

(e) As regards leave and other condition of service, staff included in the Railway Board Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with Headquarters at New Delhi.

C. *Indian Foreign Service (B)—Grade II of the Stenographers cadre*

The Stenographers cadre of the I.F.S. (B) has at present four grades as follows :—

Selection Grade : Rs. 775—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Grade I : Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

Grade II : Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade III : Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

(Persons promoted from Grade II are allowed a minimum salary of Rs. 710/-in the scale).

2. Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by the Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or the conduct of any of them, in the opinion of the Government has been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

3. The officers appointed to Grade II of the SSC of the I.F.S. (Branch B) will be governed by the I.F.S. Branch 'B' (RCSP) Rules, 1964, I.F.S. (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to I.F.S. 'B' officers and such other rules and orders as may be made applicable to them by the Government of India.

4. The Indian Foreign Service Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad. The officers appointed to this service are normally not liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Commerce. They are however liable to be posted abroad against the posts borne on the strength of other Ministries and also liable to be posted to International Commissions etc. They are liable to serve anywhere in India or outside India, including non-family stations.

5. During Service abroad IFS (B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during

service abroad in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to IFS (B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the assisted Medicial Attendance Scheme.

(iii) Annual return air passage for children upto a maximum of two children between the ages of 6 and 22 studying in India or one child studying in India and one child in a country other than the country of the officer's posting abroad subject to certain conditions. If a Government servant has more than two children between ages of and 22 studying in India, he shall have the option to send his wife to India during the vacation in lieu of two children visiting their parents abroad. In such a case the wife of the Government servant shall be entitled to return air passage by the cheapest class available.

(iv) An allowance for the education of children upto a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(v) Outfit allowance in connection with services abroad in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnormally cold climatic conditions exit.

(vi) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

6. Central Civil Service (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time will apply to members of the service subject to certain modifications. For service abroad, officers are entitled to an additional credit of leave of the extent of 50 per cent of leave admissible under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

7. While in India Officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government Servants of equal and similar status.

8. Officers of the IFS (B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 as amended from time to time and by orders issued thereunder.

9. Officers appointed to this service are governed by the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

D. *Armed Forces Headquarters Stenographers' Service*

The AFHQ Stenographers' Service has at present, four grades as follows :

1. Grade A Stenographers (Private Secretary) Group B—Gazetted (Selection Grade).

   Scale of pay—Rs. 650 (*775)—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

   *Guaranteed minimum for those promoted from Grade B.

2. Grade B Stenographers (Senior Personal Assistant) Group B—Gazetted.

   Scale of pay—Rs. 650 (@710)-30—740—35—880—EB—40—1040.

   @Guaranteed minimum for those promoted from Grade C.

3. Grade C Stenographers (Personal Assistants) Group B—Non-Gazetted.

   Scale of pay—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

4. Grade D Stenographers—Group C.

   Scale of pay—Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

2. Person recruited direct as temporary Stenographers' Grade C (Personal Assistant) will be on probation for a period of 2 years. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and to pass such tests as the Government may from time to time prescribe.

3. Stenographers' Grade C recruited to AFHQ Stenographers' Service will be generally posted to any office of the AFHQ and Inter Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted to such other stations outside Delhi/New Delhi, where office of AFHQ/IS organisations may be located.

4. Stenographers' Grade C will be eligible for promotion to the post of Stenographers' Grade B (Senior Personal Assistants) and Stenographers' Grade B (S.P.As) will be eligible for promotion to Stenographer Grade A (Private Secretary in accordance with the rules in force from time to time.

5. Leave, Medical aid and other conditions of service are the same as applicable to other ministerial staff employed in Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations.

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 24th July 1986

RESOLUTION

No. DWI-64(84)/WP.—Government of India have decided to form the development Panel for Wood-based Industries with the following composition for the period of two years from the date of this Resolution :—

S. No. Name of the Person/Organisation

Chairman

(1) Shri N. Biswas,
Deputy Director General (Chem.)
D.G.T.D., New Delhi-110011.

Members

(2) Shri A. N. Rao,
Industrial Adviser (Chem.)
D.G.T.D., New Delhi-110011.

(3) Industrial Adviser (Chemicals),
Office of DC (SSI), Nirman Bhavan,
New Delhi.

(4) Deputy Adviser (I&M),
Planning Commission, Parliament Street,
Yojna Bhavan, New Delhi-110001.

(5) Representative of Office of
Inspector General of Forests,
Deptt. of Forests,
Wild Life and Environment,
Krishi Bhavan, New Delhi.

(6) Director,
Ministry of Industry and Company Affairs,
Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

(7) Director, D.G.S. & D.,
Parliament Street, New Delhi-110001.

(8) Director,
Indian Plywood Industries Research Institute,
P. B. 2273, Bangalore-560022.

(9) Director,
Civil Engineering,
Indian Standards Institution,
New Delhi.

(10) Executive Director,
Chemicals and Allied Products
Export Promotion Council,
World Trade Centre,
14/1-B, EZRA STREET,
Calcutta-700001.

(11) Adviser (Chemicals),
Deptt. of Chemicals & Petro-Chemicals,
Shastri Bhavan, New Delhi.

(12) President,
Federation of Indian Plywood and Panel
Industries, Indra Place, H-Block,
Connaught Place, New Delhi.

(13) President,
Plywood Manufacturers Association
of West Bengal,
22, Strand Road.
Calcutta, West Bengal.

(14) President,
Andaman Wood Based Industries Association,
Port Blair, Andaman.

(15) President,
South India Plywood Manufacturers Association,
T. C./XII/1630, Brigade Lane, Vikas Bhavan,
Trivandrum-695033.

(16) President,
Assam Plywood Manufacturers Association,
Tinsukhia, Assam.

(17) Mr. P. R. Tondon,
Secretary,
Federation of Indian Plywood & Panel Industries,
Indra Place, H-Block Connaught Place,
New Delhi.

(18) Shri Arvind Jolly,
M/s. Jolly Products Ltd.,
501, Rewa Chambers, 31, New Marine Lines,
Bombay-400020.

(19) Mr. H. V. Sharda,
M/s. Mangalam Timber Products,
9/1, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta-700001.

(20) Shri Abbas Wagh,
M/s. Decorative Laminates (India) Pvt. Ltd.,
Yelwal Road, Mysore-570005.

(21) Shri T. K. Jacob,
M/s. Veneers & Laminates,
Cochin, Kerala State.

(22) Shri P. D. Chitlangia,
M/s. Sharda Plywood Industries,
9, Parsee Church Street,
Calcutta-700001.

(23) Mr. K. S. Lauly,
M/s. Particle Boards Manufacturers Association,
9, Wallace Street, Fort,
Bombay-400001.

(24) Mr. A. K. Kadarkutty,
M/s. Western India Plywood Industries,
Baliapatam, Kerala State.

(25) Mr. M. M. Jalan,
M/s. Arunachal Plywood Industries,
62, Baligunj, Circular Road,
Calcutta.

(26) Mr. K. S. Nair,
Ruksvilla, T. C. No. 10/52, Sastamangalam,
Trivandrum-695010.

(27) Shri J. S. Matharu,
M-39C, Rajouri Garden,
New Delhi-110027.

(28) Dr. M. C. Tiwari,
Director,
Forests Products Research,
Forest Research Institute,
Dehradun.

Member-Secretary

(29) Shri P. V. Mehta,
Development Officer,
D.G.T.D., Udyog Bhavan,
New Delhi-110011.

2. Terms of reference of the Panel would be as under :—

(i) To review the present status of plywood and other allied industries, perspectives for their future growth, estimate the demand and recommend steps to promote and develop the industry as per the future requirements;

(ii) To evaluate status of technology in the above industries and suggest measures for upgrading the same to bring it up to the desired level and suggest measures for modernisation; measures for development of designs/processes may also be suggested;

(iii) To suggest measures for rationalisation of varieties and sizes of the product as well as rationalisation of varieties and sizes of raw materials, components, consumables, etc. used by the industry;

(iv) To advise on norms for material and energy consumption, steps for reduction in the same, and to recommend measures for improvement of efficiency and productivity;

(v) To advise on the economic and desirable scales of production for different sectors of the industry;

(vi) To suggest measures for import substitution of the product, its raw materials and components;

(vii) To advise on steps for export generation;

(viii) To suggest any other aspects which the Panel deems important in the interest of the growth and development of the industry;

(ix) To advise on patter of regional development and growth of the industry, taking into account the sources of supply of raw materials and areas of consumption.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL
Director (Administration)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION)

New Delhi, the 22nd July 1986

RESOLUTION

No. 9-13/80-C.A.I.—The Government of India have decided to reconstitute with immediate effect the Indian Spices

Development Council set up vide their Resolution No. 48012(5)/76-C.A.I., dated the 19th October, 1977. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. CHAIRMAN

A non-official to be nominated by the Government of India.

II. VICE-CHAIRMAN

Horticulture Commissioner, Government of India, Department of Agriculture and Co-operation, New Delhi.

III. MEMBERS

(A) *Members of Parliament*

Three Members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

(B) *Representatives of Central Government*

(i) Planning Commission, New Delhi.

(ii) Ministry of Commerce, New Delhi.

(iii) Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee.

(iv) Director General, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi or his nominee.

(v) Project Co-ordinator (Spices and Cashewnut), Central Plantation Crops Research Institute, Post Kudlu, Kasaragod, Kerala.

(vi) Agricultural Marketing Adviser, Department of Rural Development, New Delhi or his nominee.

(vii) General Manager (Technical), National Bank for Agriculture and Rural Development, Worli, Bombay.

(viii) Director, National Centre on Spices, Calicut.

(C) *Representatives of the State Governments.*

One representative from each of the following State Governments in the Department of Horticulture/Agriculture to be nominated by the respective State Governments :—

(i) Andhra Pradesh

(ii) Assam

(iii) Bihar

(iv) Gujrat

(v) Himachal Pradesh

(vi) Karnataka

(vii) Kerala

(viii) Madhya Pradesh

(ix) Maharashtra

(x) Meghalaya

(xi) Orissa

(xii) Sikkim

(xiii) Tamil Nadu

(xiv) West Bengal.

(D) *Representatives of Agricultural Universities*

One representative of each of the following Agricultural Universities :—

(a) Vice-Chancellor or his nominee, Kerala Agricultural University, Trichur.

(b) Vice-Chancellor or his nominee, University of Agricultural Sciences, Karnataka, Bangalore.

(c) Vice-Chancellor or his nominee, Tamil Nadu Agricultural University Madras.

(d) Vice-Chancellor or his nominee, Assam Agricultural University, Guwahati.

(e) Vice-Chancellor or his nominee, Konkan Krishi Vidyapeeth, Depoli.

(f) Vice Chancellor or his nominee, Himachal Pradesh Agricultural University, Shimla.

(E) *Representatives of Growers*

Fourteen Growers' representatives to be nominated by the respective State Governments from the major Spices growing States is as follows :—

(i) Andhra Pradesh	One representative
(ii) Assam	-do-
(iii) Bihar	-do-
(iv) Gujarat	-do-
(v) Himachal Pradesh	-do-
(vi) Karnataka	-do-
(vii) Kerala	-do-
(viii) Maharashtra	-do-
(ix) Meghalaya	-do-
(x) Madhya Pradesh	-do-
(ix) Orissa	-do-
(xii) Sikkim	-do-
(xiii) Tamil Nadu	-do-
(xiv) West Bengal	-do-

(F) *Representatives of Trade*

Three representative of trade to be nominated on the basis of recommendations by the Ministry of Commerce (Department of Foreign Trade).

(G) *Representatives of Industry*

Three representatives of Industry to be nominated on the basis of recommendations by the Ministry of Industry and Company Affairs (Department of Industrial Development).

(H) *Others*

Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India.

IV. MEMBER SECRETARY

The Director, Directorate of Cocoa, Arecanut and Spices Development, Calicut under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation.

V. OBSERVERS

(Who would not be members of the Council but may be invited to assist the Council in its deliberations).

1. Chairman,
State Trading Corporation
or his representative.

2. Financial Adviser,
Department of Agriculture and Co-operation.

3. Economic and Statistical Adviser,
Department of Agriculture and Co-operation.

4. Managing Director,
National Agricultural Co-operative Marketing
Federation of India Ltd.,
New Delhi.

5. Managing Director,
National Co-operative Development Cooperation,
New Delhi.

6. Director, Central Food Technological Research Institute. Mysore.

7. Managing Director, National Cooperative Consumers' Federation, New Delhi.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(a) To review progress of development programmes both in the Central and State Sectors in respect of spices and recommend measures for their proper implementation.

(b) To assess the requirements of planting materials needed by various agencies and to suggest measures to meet these requirements.

(c) To consider the demand of spices both in the domestic and export markets and make suitable recommendations to the Government for increasing the production of spices through suitable developmental programmes.

(d) To take stock of the technology available in respect of production, processing and marketing and its adoption for increased productivity through linkage between research and extension.

(e) To identify the requirements of spices processing industry and steps for its diversification.

(f) To consider special needs of small and marginal farmers for spices production and suggest measures to meet the same.

(g) To advise Government on any other matter connected with the spices industry.

3. The Council will have the powers to set up Standing Committee, Technical Committee and *Ad hoc* Committee to look into specific issues and to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary for specific purpose.

4. The Council will meet periodically in areas in which spices are grown and at important centres of trade and induty and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date on which they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. The members of the Council who are nominated from among Members of Parliament will cease to be Members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. V. SHENOI
Addl. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

PREM (RESEARCH) DIVISION

New Delhi, the 14th May 1986

RESOLUTION

No. 1-66/85(R-WCD)PREM.—In supersession of Government Notification No. 1-56/82(R) PREM dated 20-1-1983, the Advisory Committee on Social Welfare Research in hereby reconstituted to advise the Department of Women & Child Development in regard to :

(i) promotion, coordination and utilisation of research in the area of Women and Pre-School Children, policy formulation and development;

(ii) identification of areas of research and study and identification of priorities;

(iii) methodological soundness, importance, adequacy and costs of proposals for research and study submitted to Department of Women & Child Development for financial support; and

(iv) any other matter relating to the promotion of research in the above subjects.

2. The Committee will have the following members :

Chairman (Ex-officio)

1. Secretary to the Government of India,
Department of Women & Child Development,
Ministry of Human Resource Development,
New Delhi.

Members

2. Dr. Malcolm S. Adiseshiah,
"SADHANA"
19. Eenotaph Road,
Madras-600018 (Tamil Nadu).

3. Prof. (Miss) Armaity Desai,
Director,
Tata Institute of Social Sciences,
Bombay.

4. Dr. Rajammal P. Devadas,
Director,
The Avinashilingam Education Trust Institutions,
Coimbatore-641043 Tamil Nadu.

5. Dr. Veena Majumdar,
Director,
Centre for Women's Development Studies,
B-43, Panchsheel Enclave,
New Delhi-110017.

6. Prof. (Mrs.) Tara Gopaldas,
Dean,
Department of Food & Nutrition,
Faculty of Home Science,
M.S. University of Baroda,
Baroda.

7. Dr. (Mrs.) R. Muralidharan,
Professor,
Department of Pre School & Elimentary Education,
National Council of Educational Research & Training,
New Delhi.

8. Prof. B. N. Tandon,
Head,
Deptt. of Gastroenterology & Human Nutrition,
All India Institute of Medical Sciences,
Ansari Nagar, New Delhi-29.

9. Dr. K. K. Jacob,
Principal,
Udaipur School of Social Work,
Udaipur, Rajasthan.

10. Dr. D. Doley,
Reader,
Department of Sociology,
Dibrugarh University,
Dibrugarh (Assam).

Members (Ex-officio)

11. Executive Director,
Central Social Welfare Board,
New Delhi.

12. Director,
National Institute of Public
Co-operation and Child Development,
New Delhi.

13. Director,
Indian Council of Medical Research,
New Delhi.

14. Joint Advisor (Social Welfare),
Planning Commission,
New Delhi.

15. Director,
National Institute of Nutrition,
I.C.M.R., Jamia-Osmania,
P.O. Hyderabad-500 007.

16. Registrar General,
India,
Ministry of Home Affairs,
New Delhi.

17. Joint Secretary (WW)

18. Joint Secretary (Child Development)

Member Secretary (Ex-officio)

19. Director (Research).

3. The tenure of the members of the Committee will be upto 30 June 1990. Government may extend of curtail this period.

4. No remuneration will be paid for the membership of the Committee. The official members will, however, be entitled to draw TA/DA etc. for the journeys undertaken by them in connection with this assignment in accordance with the rules applicable to them from their respective Departments. The non-official members of the Committee will be entitled to claim TA/DA for their journeys to attend meetings as admissible to First Grade Officers of the Government of India.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

M. S. DAYAL
Jt. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 15th July 1986

RESOLUTION

No. 47/7/84-FC.—The Ganga Flood Control Commission set up by the erstwhile Ministry of Irrigation and Power vide Resolution No. FC-47(3)/72 dated 18th April, 1972 and amended vide that Ministry's Resolution No. FC-47(3)/72 dated 30th May 1973, erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Irrigation) Resolution No. FC-47(16)/77 dated 7th October, 1977 and Ministry of Irrigation's Resolution No. FC-47(2)/77 dated 19th/30th September, 1980 is hereby reconstituted as follows :

2. The Commission will consist of the following whole-time officers :

(i) Chairman
(ii) Member (Planning)
(iii) Member (Coordination)

3. The Chief Engineers, incharge of the flood control in the States of Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal and the Engineer-in-Chief of Madhya Pradesh will be part-time Members of this Commission. In addition, the following officers of the Government of India will also be Part-time Members of this Commission :—

(i) Member (River Management), Central Water Commission;

(ii) Director,
Central Water and Power Research Station,
Pune;

(iii) Chief Engineer,
Hydrological Observations and Flood Forecasting Organisation (North), Central Water Commission;

(iv) Chief Engineer (Planning),
Roads Wing, Department of Surface Transport,
Ministry of Transport; and

(v) Director,
Civil Engineering, Railways,
Ministry of Transport.

4. The Chief Engineers in-charge of flood control in the States of Haryana, Rajasthan and Himachal Pradesh and Union Territory of Delhi will be permanent invitees of the Commission.

5. The Commission will be entrusted with the following functions :

(i) to prepare a comprehensive plan of flood control for the Ganga basin. The field investigations and collection of data for the purpose will be carried out by the State Governments as directed by the Ganga Flood Control Board;

(ii) to draw out a phased and coordinated programme of implementation of works included in the basin-wise plans;

(iii) to advise the concerned States to follow certain guidelines in respect of quality control, material specifications and maintenance in order to ensure the implementation of works and the maintenance thereof to proper standards;

(iv) to prepare the annual programme for works and allocation of cost wherever required for consideration of the Board;

(v) to evaluate the performance of major flood control measures executed by the States including all the inter-State flood control schemes;

(vi) to make an assessment of the existing ventways under the road and rail bridges and to determine additional waterways to be provided for reducing the drainage congestion to reasonable limits;

(vii) to monitor the execution of the important flood control schemes particularly those receiving Central assistance or being executed under the Central Sector;

(viii) to examine all major and medium flood control, drainage, anti-waterlogging and anti-erosion schemes of Ganga basin States except for schemes of the States of Haryana, Uttar Pradesh and Delhi on the river Yamuna in the reach from Tajewala to Okhla Barrage;

(ix) documentation and dissemination of findings emerging out of all special studies or investigations conducted in participation with Scientific Organisations for appropriate use by basin States.

6. The Commission will work within the broad framework of policy directions issued by the Ganga Flood Control Board and will work in close liaison with the Central Water Commission and the Flood Control Organisations of Ganga Basin States.

7. The Headquarters of the Commission will be at Patna.

8. The Flood Control works will normally be implemented by the State Governments concerned. If, however, it becomes necessary, the Commission may arrange the execution of specific works after mutual consent between the State/States concerned and the Ministry of Water Resources, Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal and Union Territory of Delhi, Ministries of Agriculture, Finance, Planning, Transport (Departments of Railways and Surface Transport), Prime Minister's Office, Private and Military Secretary to the President and Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the State Governments of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal and Union Territory of Delhi be requested to publish it in the States' Gazettes for general information.

B. SEN
Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986